न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–101/2017

CIS NO. TS- 15/2019

घाओ देवी एवं अन्य...वादीगण

बनाम

काशी राउत एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
16.01.2023	वादीगण की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 17.11.2022 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 काशी राउत की मृत्यु दिनांक 04.07.2020 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं0–01 काशी राउत के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे अपनी पत्नि मु0 रेशमी देवी एवं दो पुत्र छठू राउत एवं सुधीर राउत एवं तीन पुत्री सोमारी देवी, प्रभा देवी एवं सुलेखा देवी को छोड़कर मरे है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी सं0–01 काशी राउत का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें। जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगणों की ओर से मौखिक विरोध कर आवेदन खारिज करने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 काशी राउत की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादी भी स्वीकार करता है। आवेदन के समर्थन में वादीगण की ओर से शपथपत्र दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–01 का नाम कलमजद करें तथा मृतक के विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें तद्पश्चात वादीगण की ओर से प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें।	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–101/2017</u>

<u>CIS NO. TS- 15/2019</u>

लगातार 16.01.2023	वाद दिनांक 20.02.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	